Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 4; 2024; Page No. 256-260

Received: 02-04-2024
Accepted: 07-05-2024

भोपाल के क्षेत्रीय समाज में किशोर अपराध समस्या का विश्लेषण करना

[1]रीतू पटवा, [2]संतोष साल्वे

[1]शोधार्थी, मध्यानचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[2]शोध-पर्यवेक्षक, समाज शात्र विभाग, मध्यानचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17809885

Corresponding Author: रीतू पटवा

सारांश

भोपाल में अपराधियों की प्रोफ़ाइल से पता चला है कि ज़्यादातर अपराधी 12 से 16 साल की उम्र के हैं, मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और अक्सर ऐसे परिवारों से आते हैं जिनका अपराधी व्यवहार का इतिहास रहा है। माता-पिता की शिक्षा, व्यवसाय और आय की स्थिति सहित पारिवारिक गतिशीलता, और समग्र पालन-पोषण प्रक्रिया, किशोर अपराध को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किशोर अपराध को एक जटिल घटना के रूप में चित्रित किया जाता है जो एक ही कारण से नहीं बल्कि कई कारकों से उत्पन्न होती है। किशोर अपराध से निपटने के लिए ज़िले, समुदाय और परिवार के व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। राज्य द्वारा किशोरों के पुनर्वास के प्रयास, जिनमें उन्हें समाज में पुनः एकीकृत करने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, माता-पिता को उनके बच्चों पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और परामर्श प्रदान करना भविष्य में अपराधी व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकता है।

मूलशब्द: भोपाल, अपराध, किशोर अपराध, किशोर अपराध, परिवार

प्रस्तावना

किशोर अपराध दुनिया के लगभग सभी समाजों के सामने गंभीर समस्याओं में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे आबादी में कमजोर समूह हैं जिन्हें अत्यधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी भेद्यता के कारण, इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने और आसपास के लोगों द्वारा अवांछनीय दिशा में निर्देशित होने की संभावना है। हालांकि यह सबसे बड़ा तथ्य है कि संरक्षण और देखभाल के बावजूद, बच्चे समय-समय पर विचलित व्यवहार में लिप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होते हैं जिस पर हमारा भविष्य टिका होता है। वे देश के भावी नेता और राष्ट्र की संपत्ति के निर्माता भी हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपराध की अवधारणा जटिल है और एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है और कोई एक परिभाषा सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। यह एक जगह से दूसरी जगह भिन्न होता है क्योंकि जो एक के लिए निषिद्ध है वह दूसरे स्थान पर अनुमत हो सकता है। आइए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का उदाहरण लेते हैं भारत में तोड़फोड़, चोरी, फेरी लगाना, कालाबाज़ारी और अन्य अपराधों को किशोर अपराध माना जाता है। आज के समाज में किशोर अपराध बहुत आम होता जा रहा है। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और साथ ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित बाल आबादी भी है। ऐसा माना जाता है कि भारत में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों और उनके विरुद्ध अपराधों, दोनों में वृद्धि देखी गई है।

भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित किया गया। 2000 से पहले, जब कोई लड़का या लड़की कोई अपराध करते थे, तो उन्हें किशोर अपराधी कहा जाता था, लेकिन किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के लागू होने के बाद, यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का या लड़की कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर माना जाएगा। सरकार ने 2015 में किशोर न्याय (बालकों

की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पारित किया, जो जघन्य अपराध में शामिल 160-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है। न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में किशोर अपराधों में वृद्धि का रुझान है। भारत में किशोर अपराधों की दर बढ़ रही है और यह राष्ट्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और इस समस्या के समाधान के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन और किशोर अपराध (2008) के अनुसार, 10-17 वर्ष की आयु के लगभग 6,318 किशोर गिरफ्तार हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया में बरुआ के 15 जून, 2016 के लेख से पता चलता है कि किशोर अपराध की उच्चतम दर वाले पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में असम सबसे ऊपर है, उसके बाद मेघालय और नागालैंड में जनवरी 2014 के बाद से कानून के साथ संघर्ष में बच्चों की सबसे कम संख्या दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का खुलासा किया है, जिसके अनुसार 2017 में देश भर में 40,000 से अधिक किशोर विभिन्न अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए पकड़े गए, जिनमें से 72 प्रतिशत 16-18 वर्ष की आयु के थे।

इसके अतिरिक्त, भारत में किशोर न्याय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनसीआरसी) के अनुरूप है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ सम्मान, करुणा और निष्पक्षता से पेश आना चाहिए। यह प्रणाली किशोरों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड का निषेध करती है,

साहित्य समीक्षा

मित्तल, एट अल. (2015) [6]. भारत में अपराध दर दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किशोरों में भी यह दर तेज़ी से बढ़ रही है। चोरी से लेकर हत्या या तस्करी से लेकर यौन अपराध तक, हर तरह के आपराधिक मामले किशोरों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। किशोर 18 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं। हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि किशोर हिंसा की समस्याएँ हैं। हम हर रात समुदायों और यहाँ तक कि स्कूलों में भी गोलीबारी की घटनाएँ सुनते हैं। किशोर हिंसा का बढ़ता स्तर एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। यह चिंता सज़ा पर केंद्रित रही है, लेकिन रोकथाम या हस्तक्षेप पर बहुत कम।

इस अध्ययन का उद्देश्य किशोर अपराध के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण करना, युवा अपराध से निपटने में कानूनी ढाँचों की प्रभावशीलता का आकलन करना और कानूनी, शैक्षिक और सामाजिक सहायता प्रणालियों को एकीकृत करने वाले निवारक उपायों की खोज करना है। विधि: अनुसंधान एक गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है, कानूनी विश्लेषण, केस स्टडी और किशोर न्याय प्रणालियों पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा का उपयोग करता है। विभिन्न कानूनी ढाँचों का तुलनात्मक विश्लेषण दंडात्मक बनाम पुनर्वासात्मक दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। परिणाम: निष्कर्ष बताते हैं कि किशोर अपराध मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, पारिवारिक शिथिलता और शिक्षा प्रणाली में अंतराल से प्रभावित होता है। केवल सजा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कानूनी हस्तक्षेप अक्सर पुनरावृत्ति को कम करने में अपर्याप्त होते हैं। इसके बजाय, कानूनी सुधार, शैक्षिक नीतियों और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण युवा अपराध को रोकने में अधिक प्रभावी साबित होता है। पिछले अध्ययनों के विपरीत, जो मुख्य रूप से दंडात्मक उपायों पर केंद्रित थे, यह शोध किशोर अपराध को कम करने के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में बहु-विषयक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

किशोर अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसने आपराधिक आचरण/अवैध आचरण किया हो, जो जनता या समाज को स्वीकार्य न हो, और जिसकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच हो। यह शोध पत्र एक वैचारिक शोध पत्र है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किशोर अपराधियों की बढ़ती दर से संबंधित है। यह शोध पत्र किशोरों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों और विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण करता है जिससे वे किशोर अपराधी बन जाते हैं और भारत में किशोर अपराधियों की बढ़ती दर के पीछे के कारणों का भी विश्लेषण करता है, और उन्हें सामाजिक रूप से अप्रत्याशित व्यवहार से रोकने के लिए कुछ सुझाए गए समाधानों को भी शामिल करता है। इस शोध पत्र के माध्यम से, लेखक किशोरों और समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि किशोर अवैध गतिविधियों और अवैध व्यवहार से सुरक्षित रह सकें। यह शोध पत्र सभी शैक्षिक हितधारकों जैसे माता-पिता, शिक्षक, बच्चे, नियमित स्कूल, शैक्षिक प्रशासन और समाज आदि के लिए लाभदायक होगा।

रघु, अभिषेक आदि। (2024) [5]।अन्य सामाजिक मुद्दों की तुलना में किशोर अपराध सबसे व्यापक सामाजिक मुद्दा प्रतीत होता है। सामाजिक कारक और परिस्थितियाँ अपराध की व्यापकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले आपराधिक व्यवहार में लिप्त व्यक्तियों को सामान्यतः किशोर अपराधी कहा जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य किशोर अपराधियों पर किए गए शोध और कार्य को व्यापक रूप से स्पष्ट करना है, जिसमें किशोर अपराध के सभी पहलुओं में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह शोध युवा अपराधियों के आपराधिक व्यवहार में योगदान देने वाले सामाजिक मूलों और प्रभावों की जाँच करना चाहता है। यह लेख किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों पर शोध का विश्लेषण करने के लिए एक साहित्य समीक्षा पद्धति का उपयोग करता है। यह सामाजिक कारकों और युवा व्यक्तियों की अपराधी व्यवहार में भागीदारी के बीच जटिल अंतर्संबंध को समझने के लिए पूर्व निष्कर्षों का संश्लेषण और मूल्यांकन करता है। अध्ययन में प्रतिष्ठित ऑनलाइन डेटाबेस से 80 लेखों का विश्लेषण किया गया, जो किशोर अपराध, अपराधियों, अपराध और सामाजिक कारकों पर केंद्रित थे। 80 लेखों में से 53 को उद्धृत किया गया, जो समावेशन मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें 2000-2023 के भीतर प्रकाशन, कठोर सहकर्मी-समीक्षा और प्रतिष्ठित डेटाबेस अनुक्रमण शामिल हैं। शोध के निष्कर्षों के अनुसार, यह देखा गया है कि जो बच्चे स्नेह, आतिथ्य और प्रोत्साहन वाले घरों में बड़े होते हैं, वे सामाजिक विकृतियों के प्रकट होने के लिए अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होते हैं। जिन बच्चों को माता-पिता ने त्याग दिया है, उनमें अपराधी व्यवहार विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। नकारात्मक पारिवारिक गतिशीलता की उपस्थिति और अपराधी साथियों के साथ जुड़ाव को व्यापक रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले के रूप में मान्यता प्राप्त है। नीति निर्माताओं और निवारक पहलों के लिए इस जटिल संबंध की व्यापक समझ होना अनिवार्य है। इसलिए, इस साहित्य समीक्षा ने भारत में किशोर अपराधियों पर सामाजिक कारकों के प्रभाव का एक अलग अवलोकन प्रस्तुत किया।

अहमद, सरताज एट अल. (2022) [7]. किशोर अपराधी वह व्यक्ति होता है जो कम उम्र का होता है और जो असामाजिक कृत्य का दोषी होता है और जिसका दुराचार कानून का उल्लंघन होता है। "किशोर अपराध" की समस्या एक बहुत ही अस्पष्ट मुद्दा है जिसमें कई तरह की अनिश्चितताएँ शामिल हैं और यह कई आशंकाओं और व्याख्याओं के लिए भी खुला है कि हमारे देश के किशोरों में इस तरह के अपराधी व्यवहार को रोकने के लिए कैसे, कब और कौन से निवारक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

कार्यप्रणाली

इस अध्ययन के लिए 400 अपराधियों का एक नमूना चुना गया। इसके अलावा, केवल उन पुरुष अपराधियों का साक्षात्कार लिया गया जिनका नमूना शोधकर्ता ने लिया था। इस अध्ययन में महिला अपराधियों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि शोधकर्ता को लगा कि उनसे वास्तविक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होगा क्योंकि वे अनजान व्यक्तियों से बात करने में असहज महसूस करेंगी। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत, हमेशा की तरह, प्रकाशित दस्तावेज़, पुस्तकें और लेख रहे हैं। विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में किशोर अपराध के रुझानों और पैटर्न से संबंधित प्रासंगिक विवरण, विशेष रूप से सांख्यिकीय विवरण, उपलब्ध लेखों और रिपोर्टों से लिए गए हैं और इस घटना के विवरण प्रस्तुत करने में उपयुक्त रूप से उपयोग किए गए हैं। यहाँ संसाधित आंकड़ों की व्याख्या प्रासंगिक सैद्धांतिक ढाँचे का उपयोग करके की गई है जिससे एक अर्थ निकाला जा सके। इस अध्ययन पर इस रिपोर्ट को तैयार करने में व्याख्या किए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण

इस अध्याय में भोपाल में किशोर अपराधियों से एकत्रित अनुभवजन्य आंकड़ों से एकचर तालिकाओं का विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किया गया है।शहर. घटना को बेहतर ढंग से समझने और अध्ययन किए गए मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ स्थानों पर प्रतिशत जैसे सांख्यिकीय विवरणों को अनुपात में परिवर्तित किया गया था। इस अनुभवजन्य जाँच के लिए जिन अपराधियों का अध्ययन किया गया, वे भोपाल के विभिन्न उप-क्षेत्रों में संस्थागत परिस्थितियों, अर्थात् संप्रेक्षण गृहों से लिए गए नमूने थे, जो एक सुराग की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने विकृत कृत्यों पर शीघ्र निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और आशा कर रहे थे कि उन्हें शीघ्र रिहाई या किसी भी प्रकार की सज़ा मिले। नमूना अपराधी सभी कानूनी रूप से निर्दिष्ट आयु वर्ग के थे। विवरण नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1: आयु के अनुसार किशोर अपराधियों का नमूना।

आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
7 से 10 वर्ष	5	1.25
मैं 1 से 14 वर्ष तक	115	28.75
15 से 18 वर्ष	280	70.00
कुल	400	100.00

विधि-विरुद्ध किशोर अधिनियम में किशोर की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 16 वर्ष से 18 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष की आयु के सभी किशोरों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बढ़ती उम्र के साथ उनके संज्ञानात्मक कौशल में उल्लेखनीय सुधार होता है और साथ ही उनकी कार्य-प्रणाली में भी बदलाव आता है। अतः वर्तमान अध्ययन के चयनित अपराधियों को उनकी आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और इससे संबंधित विवरण से पता चलता है कि भोपाल शहर में 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराध के मामले में अधिक स्पष्ट हैं।

वर्तमान अध्ययन के उत्तरदाता किस आयु में घर से फरार हुए, जो अपराधी प्रवृत्ति का एक स्पष्ट संकेत है और चूँकि वे घरवालों को बिना बताए घर से निकल जाते हैं, यह कृत्य अपने आप में एक अपराधी कृत्य बन जाता है। इस समझ के साथ, आयु, जो आमतौर पर एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों के बीच एक प्रभावशाली कारक होगी जो कम वयस्क हैं, अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, आसानी से मिलने वाले धन आदि के लालच में आ जाते हैं और या ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने संबंध के कारण किसी बड़े या हमउम्र साथियों के बहकावे में आ जाते हैं और जिन्होंने शराब, तंबाकू और अन्य चीजों का स्वाद चखा होगा, उनके अचानक घर से गायब हो जाने की संभावना होती है, उनके माता-पिता द्वारा अनिवार्य रूप से की जाने वाली आगे की जाँच के लिए कोई सुराग छोड़े बिना या उसके बिना। नमूना उत्तरदाताओं की आयु और फरार होने के कृत्यों का विश्लेषित विवरण निम्नलिखित तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है। इससे पता चलता है कि घर से गायब होने वालों में से अधिकांश (65.7%) ने ऐसा अपनी किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में, अर्थात् 15 से 18 वर्ष की आयु में किया था।

तालिका 2: उत्तरदाताओं के अपराधी बच्चे उनकी आयु और घर से फरार होने के बारे में उनकी राय के अनुसार

आयु	फरार होने के बारे में राय		कुल
	हाँ	नहीं	
7 से 10 वर्ष	3 (1.25)	2 (1.25)	5 (1.25)
11 से 14 वर्ष	64 (26.67)	55 (34.38)	119 (29.75)
15 से 18 वर्ष	173 (72.08)	103 (64.37)	276 (69.00)
कुल	240 (60.00)	160 (40.00)	400 (100.00)

तालिका 3: प्रतिवादी किशोर अपराधियों की आयु और उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति

आयु	किए गए अपराध की प्रकृति				कुल
	डकैती	हत्या	झगड़ना	अन्य	
मैं 1 से 14 वर्ष तक	104 (36.11)	8 (14.58)	0 (0.00)	8 (14.29)	120 (25.50)
15 से 18 वर्ष	184 (63.89)	40 (84.42)	8 (100.00)	48 (85.71)	280 (74.50)
कुल	288 (72.00)	48 (12.00)	8 (2.00)	56 (14.00)	400 (100.00)

उपरोक्त तालिका 3 में दिए गए विवरण, किशोर अपराधी उत्तरदाताओं द्वारा उनकी आयु की पृष्ठभूमि में किए गए अपराधों के प्रकार को विश्लेषणात्मक रूप से दर्शाते हैं। तथ्यात्मक विवरण इन दोनों चरों के साथ क्रॉस-सारणीबद्ध हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 7-10 वर्ष की आयु वर्ग के किसी भी उत्तरदाता ने कोई अपराध नहीं किया, जबकि 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग दो-चौथाई उत्तरदाताओं ने कोई अपराध किया, जिसका अर्थ है कि किशोरावस्था के बाद के चरण इस प्रकार के व्यवहारिक कृत्यों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। 288 में से लगभग 184

और 48 में से 40 उत्तरदाता किशोर अपराधियों का क्रमशः डकैती और हत्या करने का इतिहास रहा है।

तालिका 4: पिता की जीवित स्थिति और किए गए अपराध के अनुसार उत्तरदाता

उत्तरदाताओं के पिता	उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अपराध				कुल
	डकैती	हत्या	झगड़ना	अन्य	
जीवित	(50.10)	32 (66.67)	8 (100.00)	40 71.43)	224 (56.00)
मृत	(50.10)	16 (33.33)	0 (0.00)	16 (28.57)	176 (44.00)
कुल	288 (72.00)	48 (12.00)	8 (2.00)	56 (14.00)	400 (100.00)

उपरोक्त तालिका 4. में दिए गए विवरण से हम पिता की जीवित स्थिति और नमूना किशोर अपराधियों द्वारा किए गए अपराध के प्रकार के बीच संबंध का पता लगा सकते हैं। कुछ बच्चों में व्यवहारिक विशेषता के रूप में अपराध की प्रवृत्ति बचपन से ही दिखाई देती है। तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता किशोर अपराधियों के पिता जीवित हों या नहीं, उन्होंने अपना दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। 56 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही अपराधी गतिविधियाँ शुरू कर दीं - और शेष (4400) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद।

तालिका 5: माताओं की जीवन स्थिति और किए गए अपराध के अनुसार उत्तरदाता किशोर अपराधी

जीवन स्तर माँ	उत्तरदाताओं द्वारा किया गया अपराध				कुल
	डकैती	हत्या	झगड़ना	अन्य	
जीवित	168 (58.34)	40 (83.33)	8 (100.00)	16 (28.57)	232 (58.00)
मृत	120 (41 66)	8 (16.67)	0 (0.00)	40 71 43	168 (42.00)
कुल	288 (72.00)	48 (12.00)	8 (2.00)	56 (14.00)	400 (100.00)

उपरोक्त तालिका 5 में दिए गए विवरण से हमें उत्तरदाताओं के किशोर अपराधियों की माताओं की जीवित स्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और नमूना किशोर अपराधियों द्वारा अपराध के प्रकार को पता चला। इन दो चर की तुलना करने के लिए विवरण को सांख्यिकीय रूप से क्रॉस सारणीबद्ध किया गया है। तालिका में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि लगभग तीन-चौथाई (58,340 0) किशोर अपराधियों ने अपनी मां के जीवित रहते डकैती की है, जिसका अर्थ है कि मां भी उन्हें ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। इसी तरह, लगभग 40 ने हत्याएं कीं। कुल मिलाकर, लगभग साठ प्रतिशत (58%) ने अपनी मां के जीवित रहने से पहले अपराधी कृत्य किए थे। इसके अलावा, इसके बीच संबंध देखने के लिए काई-स्क्वायर परीक्षण लागू किया गया था।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में, भोपाल के संप्रेक्षण गृहों में बंद अपराधी बालकों से जानकारी प्राप्त करके किशोर अपराध की परिघटना को अनुभवजन्य रूप से समझने का प्रयास किया गया है। अधिकांश संप्रेक्षण गृह, जो इरविन गॉटमैन की अवधारणा के अनुसार पूर्ण संस्थान हैं, देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।ज़िलाइन संस्थानों में रहने वालों का पीछा किया जाता है और यह पुष्टि होने के बाद कि उनके कृत्य अनुचित नहीं हैं, उन्हें वहाँ से रिहा कर दिया जाता है ताकि वे अपने माता-पिता के साथ सामान्य जीवन जी सकें। यह पाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है, जिसका अर्थ है कि भोपाल में बाल अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। अध्ययन में वैश्विक संदर्भ में किशोर अपराध की घटनाओं के रुझानों को ध्यान में रखा गया है, इस अर्थ में कि कुछ चुनिंदा देशों में बाल अपराध किस हद तक होते हैं और किस पैटर्न और परिवर्तनों के साथ इस घटना में बदलाव आने लगे हैं। विस्तृत जानकारी से पता चला कि बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की घटनाओं, प्रकृति और प्रकार में विभिन्न देशों के बीच कोई एकरूपता नहीं है। ये घटनाएँ आयु-आधारित ढाँचे में भी भिन्न हैं, इस अर्थ में कि ऊपरी आयु सीमा कुछ राष्ट्रीय सामाजिक संदर्भों में भिन्न होती है।

संदर्भ

1. चौहान, आशुतोष और शुक्ला, विवेक और अंकेश, अंकेश और शर्मा, मानसी। 2022 भारत में किशोर अपराध: कारण और रोकथाम। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान पत्रिका। 10.53730/ijhs. v6nS4.9343।
2. अग्रवाल, दीपशिखा. भारत में किशोर अपराध - किशोर न्याय अधिनियम में नवीनतम रुझान और आवश्यक संशोधन. पीपल: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज. 2018;3:1365-1383. 10.20319/pijss.2018.33.13651383.
3. डॉ. यादव. भारत में किशोर अपराध से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण: कारण, परिणाम, निवारक रणनीतियाँ और कानूनी ढाँचा। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान और मानव अनुसंधान जर्नल। 2023, 06. 10.47191/ijsshr/v6-i6-81।
4. डॉ. शर्मा. 2021 के संदर्भ में भारत में किशोर अपराध का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. कानूनी अनुसंधान विकास: एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरीड ई-जर्नल. 2022;6:13-15. 10.53724/lrd/v6n3.06.
5. रघु, अभिषेक और बालामुरुगन, जे. भारत में किशोर अपराधों के संदर्भ में किशोर अपराध से जुड़े कारक और पैटर्न। रेविस्टा डे गेस्टाओ सोशल और एंबिएंटल। 2024. 18.ई04942. 10.24857/आरजीएसए। v18n1-088.
6. मित्तल, कुंजना. भारत में किशोर अपराध, 2015.
7. अहमद, सरताज और पंत, भावना और गुप्ता, मोनिका और सिंह, अलका और बिश्नोई, रीना और त्रिपाठी, मनोज। किशोर अपराध के सामाजिक-आर्थिक कारणों पर एक समीक्षा अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी मेडिसिन। 2022;10:31-37. 10.37506/ijocm. v10i1.3207।
8. अत्रे, और सिंह, बलविंदर. राजस्थान में किशोर अपराध का विश्लेषण: जोखिम कारक और सुरक्षात्मक कारक. 2023;6:827-837.
9. हाओ, यिरान. किशोर अपराध की प्रेरणा के कारण और प्रतिउपाय. शिक्षा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जर्नल. 2024;40:81-85. 10.54097/kjccam94.
10. वंदना, वंदना और सरीफ, एम.डी. और शुल्लई, सिंशियार । स्कूली किशोरों में किशोर अपराध की व्यापकता और

जोखिम कारक - मेघालय, भारत से एक अनुभवजन्य अध्ययन। 2024;XII:1-34.
11. अत्रे, और सिंह, बलविंदर. किशोर अपराध पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव: राजस्थान में एक खोजपूर्ण अध्ययन। यूरोपियन इकोनॉमिक्स लेटर्स। 2024;14:1449-1455. 10.52783/eel. v14i2.1502.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.